न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– **प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)**
राजस्व विविध प्रकरण सं. **03/2022**
जीसीएमएसः– **2022/55**

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जेठूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डबाल तह–सांचौर जिला सांचौर		1. भावाराम पुत्र दुर्गा। 2. गजरी पत्नी दुर्गा। 3. थानाराम पुत्र केहरा। 4. नोजी पत्नी केहरा। 5.रतनाराम पुत्र केहरा। 6.हिन्दुराम पुत्र केहरा जातियान कलबी निवासी डबाल तह–सांचौर जिला सांचौर राज.। 7.तहसीलदार सांचौर। 8.शॉखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि.सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थितः–

तारीख रजूः– 13.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पुरोहित व श्री लाधुसिंह किलवा।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी।
3. अप्रार्थी सख्या 07 राज पैरोकार उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 08 एक पक्षीय ।

निर्णय

दिनांक 05.07.2024

प्रार्थी मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा डबाल पटवार हल्का डबाल तहसील सांचौर में प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 577 रकबा 8.08 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी खेत में आवागमन करने हेतु डबाल में स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 579 रकवा 6.35 किस्म बारानी सोयम में से करीबन 210 मीटर लम्वे व 5 मीटर चौड़े अर्थात 0.1050 हैक्टयर भूमि की रास्ता प्रयोजनार्थ आवश्यकता है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही एवम् उक्त रास्ता भूमि हेतु सुविधा हेतु सुलभ, उपयुक्त व सर्वोतम रूप से नजदीक व सुविधाजनक रास्ता भूमि है उक्त रास्ते की भूमि को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त नक्शे को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जाकर साथ पत्र में [illegible] उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थी व उसके परिवार वालों को [illegible] में आने–जाने के लिए काश्त के साधन एवं उपकरण लाने ले जाने [illegible] बच्चों के स्कूल आने जाने तथा पशुओं के आवागमन हेतु भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा [illegible] मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें। तथा उक्त रास्ते की भूमि में अप्रार्थी अप्रार्थी को पावन्द करावें कि किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करे।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:35:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दिनांक 13.0.2022 को दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 8 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी ने प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि मौके की परिस्थिति अनुसार हम अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 हमारी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 579 रकबा 6.35 हैक्टयर में से 160 मीटर लम्बे व 3.75 मीटर चौड़े अर्थात 0.06 हैक्टयर भूमि प्रार्थी को प्रार्थना के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि प्रार्थी को देने हेतु पूर्ण रूप से सहमत है हम अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता भूमि के संबंध में प्रतिफल राशि प्राप्त हो गई है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता राजस्व रेकर्ड में अर्थात जमाबंदी व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज कर तरमीम करने का आदेश दिया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है। अप्रार्थी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 राज पैरोकार को मौका जांच रिपोर्ट व डीएलसी दर से भूमि की मुआवजा राशि निर्धारण हेतु लिखा गया।

तहसीलदार सांचौर की जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा डवाल पटवार हल्का डवाल के खेत खसरा नम्बर 577 के खातेदार जेठूसिंह द्वारा खसरा नम्बर 579 में से गैर मुमकिन सड़क के खसरा नम्बर 584 से स्वंय के खेत तक नजरी नक्शा में दर्शित विन्दु ए से वी तक रास्ता चाहा हैं मौके निरीक्षण अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 577 के अन्य कोई भी रास्ता नही लगता है। तथा निकटम रास्ता खसरा नम्बर 579 है जो सांचौर से आमली जाने वाली पक्की सड़क है। उक्त सड़क से खसरा नम्बर 579 में से विन्दु संख्या ए से वी तक की लम्बाई 140 मीटर हैं जो सर्वाधिक नजदीक व सुविधाजनक तथा मौके पर उक्त मार्ग सहमति से चालू है।

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की वहस सुनी। प्रार्थीगण ने मौजा मौजा डवाल पटवार हल्का डवाल तहसील सांचौर में प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 577 रकबा 8.08 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम भूमि आई हुई है। जिसमें आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी खेत में आवागमन करने हेतु डवाल में स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 579 रकबा 6.35 किस्म में से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु लम्बाई 140 मीटर एवम् चौड़ाई 5 मीटर क्षेत्रफल 0.0700 हैक्टयर भूमि जो नक्शा परिशिष्ठ "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मुख्य सड़क सांचौर से आमली जाने वाले पक्की सड़क से सबसे निकटतम व सुविधाजनक स्थान की भूमि है, जो रास्ते के लिये उपयुक्त है। इसके अलावा निकटतम विकल्प भूमि रास्ते हेतु उपलब्ध नही है। उपर्युक्त रास्ते की भूमि का रकवा 0.0700 हैक्टयर बनता है। उक्त रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि में प्रार्थी से अप्रर्थीगण ने रूपये प्राप्त कर लिए है। प्रार्थना के साथ संलग्न जमांबदी, नक्शा व तहसीलदार सांचौर की मौका फर्द के अनुसार प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत में आने जाने एवं कृषि आदानो के लाने– ले जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः हम प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार करना विधि संगत समझते है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:35:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्ष प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए भंली भांति सावित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। नायब तहसीलदार सांचौर एवं भू–अभिलेख निरीक्षक सांचौर के प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार ग्राम सांचौर से आमली जाने वाली पक्की डामर सड़क खसरा नम्बर 584 की खसरा नम्बर 579 से लगती सीमा के सहारे 0.0700 हैक्टयर भूमि अर्थात् 140 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई भूमि

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

में से खातेदार की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सरकारी गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता प्रयोजनार्थ की राशि अप्रार्थीगण ने प्राप्त किया होना बताया है। तहसीलदार सांचौर भू–अभिलेख में अमल दरामद कर मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। तहसीदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

उक्त आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:35:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner